

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र कवास

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

नरसिंगाराम पुत्र कलाराम जाति माली  
निवासी ढूँढा-कवास, तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1. कुम्पसिंह पुत्र साहेबसिंह 2. राजूसिंह  
पुत्र साहेबसिंह 3. तनसिंह पुत्र आम्बसिंह  
4. सावलसिंह पुत्र नगसिंह जातियाण  
राजपुत निवासी नागणेघिच्या ढूँढा,  
तहसील व जिला बाड़मेर 5. चेतनराम पुत्र  
प्रतापाराम 6. मिश्रीलाल पुत्र प्रतापाराम 7.  
गोतीराम पुत्र चैनाराम जाति माली निवासी  
ढूँढा कवास तहसील बाड़मेर 8. खेताराम  
पुत्र मोटाराम 9. खीमाराम पुत्र हजारीराम  
10. खेराजराम पुत्र उम्मेदाराम 11. मेवाराम  
पुत्र चुनाराम जाति माली निवासी  
ढूँढा-कवास तहसील व जिला बाड़मेर 12.  
कंवराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट  
निवासी सेवरों की ढाणी, डण्डाली तहसील  
शिणधरी जिला बाड़मेर 13. माधोसिंह पुत्र  
हजारीमल जाति माली निवासी 15/16  
युआईओएफ सेक्टर प्रतापनगर, जोधपुर  
14. मुकेश कुमार पुत्र केशरमल जाति  
कुम्हार निवासी हीराभवन, धोलामंडी, चौमू  
तहसील चौमू जिला जोधपुर 15.  
जयकिशन पुत्र कंसरमल जाति कुम्हार  
निवासी हीराभवन, धोलामंडी, चौमू तहसील  
चौमू जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या-615/2018 दिनांक-15.12.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ढूँढा पटवार हल्का कवास, तहसील व जिला बाड़मेर के  
खेत खसरा नम्बर 1093/377 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नम्बर 1094/377 रकबा 15  
बिस्वा, खसरा नम्बर 1095/377 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1096/377 रकबा 13  
बिस्वा खसरा नम्बर 1097/385 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1098/377 रकबा 02  
बिस्वा कुल रकबा 03.09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी  
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक  
निश्चित तारीख मुकदर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं  
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर  
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे  
एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा  
किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 15/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6609-6611

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालन प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी  
अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नरसिंगाराम पुत्र कलाराम जाति माली निवासी ढूँढा-कवास, तहसील व  
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कुम्पसिंह पुत्र साहेबसिंह जाति राजपुत/माली/कुम्हार निवासी  
नागणेघिच्या ढूँढा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर